

दलित चेतना में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

सारांश

भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को महान ज्ञानवेत्ता, समाज सुधारक, नारी मुक्तिदाता, मजदूरों का विधाता और संविधान का शिल्पकार कहा गया है। उनका कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनका प्रथम लक्ष्य भारतीय समाज में फैली बुराईयां ऊंच नीच, जात-पात को दूर कर, एक वर्गविहीन, जातिविहीन, शोषणमुक्त, मानसिक गुलामी से मुक्त, स्वच्छ समाज की स्थापना करना था ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ अपना संपूर्ण विकास कर सके। उनके दलितोत्थान के कार्यों के कारण भी उन्हें भारत का लिंकन तथा मार्टिन लूथर कहा गया।

मुख्य शब्द : मुख्य शब्द लिखें

प्रस्तावना

भारत में जाति व्यवस्था एवं जन्मगत भेदभाव से समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंसा, अन्याय, अलगाव तथा अत्याचार का शिकार हो रहा था। सोलहवीं शताब्दी से लगातार उन्नीसवीं शताब्दी तक भारतभूमि पर कई समाज सुधारकों ने जन्म लिया और भारत के उत्थान के लिए कार्य किये। किन्तु डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जितनी मजबूती और दृढ़ता से सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक सुधार हेतु कार्य किया उतना किसी और विद्वान ने नहीं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त समस्त अंधविश्वास, जात-पात, ऊंच-नीच की सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और वे सफल रहे।

अमेरिका से एम. ए., पी.एच.डी. तथा लंदन से एल.एल.बी., एम.एस.सी., डी.एल.सी., बार-एट लॉ और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्रियां प्राप्त की। उनके समय में भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप में उनके मुकाबले कोई भी व्यक्ति इतना उच्च योग्यता प्राप्त नहीं था। उस समय डॉ. अम्बेडकर विश्व के छः महान विद्वानों में से एक थे। लार्ड लिल्लिथगो ने उनके 500 स्नातको की बुद्धि के बराबर बुद्धि मानी।

डॉ. अम्बेडकर जैसे महान विद्वान के साथ भारत में जो छुआछूत, भेदभाव, अपमान किया गया, ऐसा उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका में अध्ययन के दौरान कहीं नहीं देखा। उनका अंतःकरण झंझना उठा। अपने समाज के प्रति उनमें संवेदना जाग उठी। उन्होंने देखा कि किस तरह भारत में एक मनुष्य, दूसरे मनुष्य को नीच, अछूत समझता है। वह कुत्ते-बिल्ली को छू सकता है, किन्तु मनुष्य को नहीं। दलितमनुष्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तालाब, कुएं का पानी नहीं पी सकता, ये कैसी विडम्बना है? डॉ. अम्बेडकर ने संपूर्ण गरीब, दलितों की स्थिति को अपने आंखों से देखा सहा और भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं इस दानवीय व्यवस्था का विनाश न कर दूं तब तक कभी चैन से नहीं रहूंगा।

“छूआ-छूत एक कृतघ्नतापूर्ण, पापपूर्ण, जघन्य अत्याचारपूर्ण, षोषणमय और दुराचारजनक अमानवीय प्रथा है। बहुसंख्यक हिन्दुओं ने इसे भले ही अपना धर्म माना हो, पर इसे फौरन बंद होना चाहिए। अदालतों ने भी ऐसे रीति-रिवाजों को पापपूर्ण दुराचारपूर्ण और राज्य नीति के विरुद्ध मान कर समाप्त करने कहा है।”

— डॉ. अम्बेडकर का मासिक, 12 फरवरी 1933

उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के जघन्य अपराध को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। उन्होंने दलितों में चेतना पैदा करने का बीड़ा उठाया। उनका नारा था “पिछित बनों, संगठित रहो, संघर्ष करो।” वे दलितों को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे एवं बौद्ध धर्म का पालन करवाकर, उन्हें अंदर से मजबूत बनाना चाहते थे क्योंकि बौद्ध धर्म समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व पर आधारित था। उन्होंने भगवान बुद्ध का अमर संदेश “अत्त दीप भवः” अर्थात् अपना प्रकाशस्वयं बनों, अपना उद्धार स्वयं करो

नागरत्ना गनवीर

सहायक प्राध्यापक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
शास. दिग्विजय स्व.
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
राजनांदगांव, छ.ग.

बी. एन. जागृत

सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,
शास. शिवनाथ विज्ञान
महाविद्यालय,
राजनांदगांव, छ.ग.

का संदेश जन-जन को दिया। वेमहिलाओं से कहते- अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, अच्छा खिलाओ, खूब मेहनत करो, संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, आशावादी बनो तथा प्रचारक बनो। उनका कहना था- "शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो इसे पी लेता है गरजने लगता है।"

इस महामानव, राष्ट्रभक्त गरीबों के मसीहा करोड़ों दुखियों की आंखों में आशा की किरण फैलाने वाले डॉ. आम्बेडकर ने प्रतिज्ञा की, कि "यदि मैं अपने वर्ग की दयनीय स्थिति में सुधार नहीं कर सका तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा।"³

डॉ. आम्बेडकर के दर्शन में मानवता का स्थान देवी-देवताओं से उच्च है। मनुष्य का विकास, अध्ययन का विषय और कर्मभूमि है। वे कहते थे- "यदि मनुष्य आत्मा या ईश्वर में विश्वास न करे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन स्वयं आस्था न रखना ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा।" वे कहते "आत्म सम्मान खोकर जीवित रहना बहुत ही अपमानजनक है। आत्म सम्मान के बिना मनुष्य दास के समान है।"⁴

डॉ. आम्बेडकर ने विदेश से भारत लौटने पर बैरिस्टर बनने का निर्णय लिया, ताकि वे अपने वर्ग के बीच रहकर उन्हे समाज में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर सके। उन्होंने अछूत उद्धार के लिए 1921 में एक मराठी पत्रिका 'मूक नायक' प्रारंभ की। उन्होंने दलितों में चेतना पैदा करने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की- जिसमें 20 जुलाई 1924 को **अखिल भारतीय बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दलित जाति शिक्षण समिति, समता संघ, ऑल इंडिया शैड्यूल कास्ट फेडरेशन** तथा **पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी** आदि प्रमुख हैं।

डॉ. आम्बेडकर की कानूनी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हे संविधान सभा की प्रारूप समिति का सभापति नियुक्त किया गया।⁵ डॉ. आम्बेडकर का कहना था कि उच्च जातियों के संत, महात्मा और समाज सुधारक, दलितों के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं, समानता पर बल भी देते हैं, फिर भी समानता लाने के लिए उनके पास कोई ठोस उपाय नहीं है। उनका विचार था कि दलित ही दलितों को नेतृत्व प्रदान कर सकता है। उनका मूलमंत्र था "स्वावलंबन और एकता"।

दलितोद्धार के लिए नई दिशा प्रदान करना

1924 ई. में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की पुनः स्थापना की, जिसे 1920 में मूकनायक पत्र के संपादक नन्दराम भटकर ने किया था। इस सभा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :-

1. दलित वर्गों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
2. छात्रावासों की स्थापना करना।
3. दलित वर्गों की आर्थिक स्थितियों को औद्योगिक तथा कृषि विद्यालयों की स्थापना द्वारा सुधारना।
4. दलित वर्गों की विभिन्न कठिनाईयों का प्रतिनिधित्व एवं निवारण करना।

इस सभा में अनेक समाज सुधारक संस्थायें भी थीं। किन्तु वे सवर्ण प्रभाव में थे। इस सभा के साथ ही आत्म सम्मान का युग प्रारंभ हुआ। इस सभा का नारा था "आत्म सहायता ही सबसे उत्तम सहायता है।"⁴ जनवरी

1925 को शोलापुर में दलित वर्गों के लिए हाई स्कूल, छात्रावास खोले गए। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य मनोनित किया। जो सम्मान भारत में डॉ. बाबा साहेब को नहीं मिला, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दिया। वे दलितों को संगठित कर उनमें आत्म सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का संदेश देते हैं।

डॉ. आम्बेडकर द्वारा समानता लाने के लिए आंदोलन

मनुस्मृति का दहन कर पुरातन व्यवस्था पर प्रहार -25 दिसंबर 1927 को डॉ. आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। इसी समय से मनुस्मृति के भेदभावपूर्ण युग का अंत हुआ और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पर नये समाज की रचना का युग प्रारंभ हुआ। इसकी झलक भारतीय संविधान में मिलती है।⁷

नासिक के मंदिर में प्रवेश

1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश कर हिन्दुओं के एकाधिकार को समाप्त किया। अक्टूबर 1935 को एक्ट पास हुआ और दलितों के लिए कालाराम मंदिर के दरवाजे खुले।⁸ इस आंदोलन ने दलितों को सामूहिक आधार पर कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सभी दलित पीड़ित को एक मंच पर एकत्र करने तथा उन्हे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए ऑल इंडिया कास्ट फेडरेशन की स्थापना की।

समता सैनिक दल का गठन

1927 में दलित युवकों का एक स्वैच्छिक संगठन "समता सैनिक दल" का गठन किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानता जनित सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करना था।

डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी

1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा को बंद कर डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की। जो गरीब दलित बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती थी।

सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिन्द कॉलेज की स्थापना

दलितों को उच्च शिक्षा देने 1946 में मुम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज और औरंगाबाद में 1951 में मिलिन्द कॉलेज की स्थापना की।

गोलमेज परिषद् में डॉ. आम्बेडकर का प्रतिनिधित्व

भारत के विभिन्न दलों के नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गोलमेज परिषद् में भाग लेने आमंत्रित किया था। दलित प्रतिनिधियों के रूप में डॉ. आम्बेडकर ने भाग लिया। 20 नवंबर 1930 को परिषद् का उद्घाटन हुआ, तब उन्होंने एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें दलित वर्गों की सुरक्षा का विवरण था। डॉ. आम्बेडकर की मांगें निम्नलिखित थी :-

1. अस्पृश्यता को समाप्त कर समान नागरिकता स्थापित की जायें।
2. सभी को समान अधिकारों के उपयोग के लिए स्वतंत्रता दी जायें।
3. दलित वर्गों के लिए केन्द्रीय व प्रांतीय विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायें।
4. सरकारी सेना में दलितों को पर्याप्त स्थान दिया जाये।
5. जाति प्रथा नष्ट की जायें।

6. दलित वर्गों के बहिष्कार को अपराध माना जायें, इत्यादि।

श्रमिकों एवं कर्मचारी के कल्याण हेतु कार्य

1935 में एक्ट के अनुसार प्रादेशिक, स्वाधीनता स्वीकृत हो चुकी थी। सभी प्रांतों में चुनाव होने वाले थे। डॉ. आम्बेडकर ने दलितों, शोषितों, श्रमिकों की एक पार्टी अगस्त 1936 में "स्वतंत्र मजदूर पार्टी" बनाई।⁹

1. रेल मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने 13 फरवरी 1936 ई. को एक बड़ी कान्फ्रेंस को संगठित किया। मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जोड़ते हुए उसका समर्थन किया।¹⁰
2. 26 नवंबर 1945 को डॉ. आम्बेडकर ने मजदूरों की दशा सुधारने के लिए मजदूर संहिता बनाने का समर्थन किया।
3. 1939 में उन्होंने इण्डियन लेबर संघ की स्थापना की। 1945 में मजदूरों की सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए बीमा योजना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा। 1944 में सफाई कर्मचारियों तथा खान श्रमिकों के भी संगठन बनाये।
4. 29 अक्टूबर 1942 को केन्द्र सरकार के समक्ष 56 पृष्ठों का ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जातियों को जनसंख्या के आधार पर प्रांतीय एवं केन्द्रीय आरक्षण की मांग की।¹¹ 1946 में लार्ड वेवल ने पूर्व के 8.5 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया एवं आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी।

महिलाओं के लिए किये गये कार्य

1. 1951 में हिन्दू कोड बिल महिलाओं को व्यापक आर्थिक व सामाजिक अधिकार संसद में पेश किया गया।
2. महिला को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा।
3. महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा।
4. महिलाओं को प्रसूति अवकाश।
5. अंतरजातीय विवाह को मान्यता।
6. पुरुषों की संपत्ति पर उत्तराधिकार।
7. 20 वर्ष तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पेंशन।
8. काम के घंटे निश्चित, तथा स्वास्थ्य और मनोरंजन सुविधायें।

संविधान में किये गये कार्य

29 अगस्त 1947 को डॉ. आम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉ. आम्बेडकर ने संविधान में समस्त मानव जाति के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किये। इसके अंतर्गत जाति, लिंग, रंग के आधार पर किसी के साथ

भेदभाव नहीं किया जायेगा। कानून के समक्ष सभी भारतीयों को समानता का अधिकार दिया गया जोगरीब, शोषित, दलितोत्थान में सबसे अधिक सहायक व कारगर बना।

निष्कर्ष

डॉ. आम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की लोकतांत्रिक भावना पर आधारित है जिसमें सबका विकास हो, सभी समान रहे किन्तु आजादी के सात दशकों बाद भी हमारी सामाजिक, धार्मिक, रूढ़िवादी, अंधविश्वासी अर्थात् विषमतावादी भावनाएँ समाप्त नहीं हो पा रही हैं।¹² उन्होंने सभी नागरिकों के लिए सम्मान, एकता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर विशेष बल दिया। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक लोकतंत्र के पक्षधर थे। राष्ट्रीयता संबंधी उनके विचार केवल गुलाम देशों की मुक्ति तक ही सीमित नहीं हैं, वरन् वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं उनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक समानता के बगैर राजनैतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। उनका सपना था "भारत महान राष्ट्र बने" भारत बौद्धमय राष्ट्र बने। राष्ट्र के संबंध में राष्ट्रीयता का अर्थ है मानव में एकता की दृढ़ भावना और भाईचारा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रघुवीर सिंह, इक्कीसवीं सदी में आम्बेडकरवाद, मनभावन प्रकाशन, दिल्ली पृष्ठ क्र. - 32
2. बाबूलाल चांवरिया, दलित आंदोलन के प्रेरणा प्रतीक, उन्नति विकास शिक्षक संगठन, जोधपुर, पृष्ठ क्र. - 82
3. डॉ. सुरिन्दरकोर, दलितोत्थान
4. डॉ. डी. आर. जाख, डॉ. आम्बेडकर का राजनिति दर्शन, समता साहित्य सदन, जयपुर, पृष्ठ क्र. - 19
5. जे.श्यामसुन्दरम्, सी. पी. शर्मा, राजनिति विज्ञान, पृष्ठ क्र. - 445
6. डॉ. बीना माथुर, दलित एवेकिंग इन इंडिया, पृष्ठ क्र. - 159
7. डॉ. बीना माथुर, दलित एवेकिंग इन इंडिया, पृष्ठ क्र. - 160
8. बाबूलाल चांवरिया, दलित आंदोलन के प्रेरणा प्रतीक, उन्नति विकास शिक्षक संगठन, जोधपुर पृष्ठ क्र. - 84
9. डॉ. सीमा वर्मा, दलित एवेकिंग इन इंडिया, कानपुर, पृष्ठ क्र. - 121
10. डॉ. बीना ठाकुर, डी. ए. इंडिया, पृष्ठ क्र. - 160
11. डॉ. (श्रीमती) बीना ठाकुर, डॉ. भीमराव आम्बेडकर का दलित चेतना में योगदान, द.अ.हि.प्र.पृष्ठ क्र. - 160
12. ऊना, सहारनपुर के मामले